सप्तदश बिहार विधान सभा

त्रयोदश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-27.11.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विजय कुमार खेमका, स०वि०स० डॉ0 सुनील कुमार, स०वि०स० श्री अशोक कुमार, स०वि०स०	"पूर्णिया सहित राज्य भर में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य शुरू है। निर्वाचन आयोग के अनुसार सभी मतदान केन्द्र पर बीएलओ के माध्यम से नये मतदाता का नाम जोड़ना तथा डुप्लिकेट मतदाता का नाम हटाना है। जनवरी 2025 तक निर्वाचन आयोग को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाना है। 62-पूर्णिया विधान सभा के मतदाता सूची में काफी डुप्लिकेट मतदाता का नाम अंकित है। जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उप निर्वाचन पदाधिकारी को सात सौ से अधिक डुप्लिकेट मतदाता सूची आपत्ति पत्र के साथ हस्तगत कराने के पश्चात भी अब तक मतदाता सूची में डुप्लिकेट मतदाता का नाम नहीं हटाया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 में बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता जिनका नाम मतदाता सूची से विलोपित कर दिया गया है, वो अपने मताधिकार से वंचित रह गये हैं। अत: विलोपित किये गये मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जोड़ने एवं डुप्लिकेट मतदाता का नाम हटाने की तरफ हम सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं ।"	निर्वाचन विभाग

क्र० सं०·	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्री संदीप सौरभ, स०वि०स० श्री विजय कुमार मंडल, स०वि०स० श्री गोपाल रविदास, स०वि०स० श्री चन्द्रहास चौपाल, स०वि०स० श्री रामवृक्ष सदा, स०वि०स० श्री विनय कुमार, स०वि०स०	''1974 के जेपी आंदोलनकारियों के लिए 'जे.पी. सम्मान योजना' के तहत बिहार गजट (संकल्प संख्या-524, दिनांक 15-07-2015) द्वारा मीसा अथवा डी.आई.आर के तहत कारा याफ्ता को पेंशन तथा भूमिगत को केवल प्रशस्ति पत्र व प्रतीक चिह्न देने का प्रावधान किया गया। जबकि सच्चाई यह है कि मीसा और डी.आई.आर के तहत आंदोलनकारियों को गिरफ्तार हो जाने के बाद जमीन पर इस आंदोलन को भूमिगत तथा महिला आंदोलनकारियों ने ही तीन वर्षो तक इसे चलाया। उक्त गजट में सेनानियों का जेल जाने अथवा बाहर आने का प्रमाण नहीं रहने पर दो पेंशनधारी जेपी सेनानी द्वारा प्रमाण पत्र दिए जाने तथा 'सलाहकार पर्षद' द्वारा अनुशंसित होने पर जे.पी. सम्मान योजना दिए जाने का प्रावधान किया गया है। वस्तुस्थिति यह है कि लंबे समय से 'सलाहकार पर्षद' के गठन नहीं होने और सरकार द्वारा घोषित जिलास्तरीय त्रिस्तरीय समिति के निष्क्रिय रहने के कारण वैसे सेनानी जिनके जेल और थानों के दस्तावेज अनुपलब्ध हैं, पूर्व के पेंशनधारी सेनानियों की अनुशंसा लेकर भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अत: सदन के माध्यम से भूमिगत जे.पी. सेनानियों को पेंशन देने तथा दस्तावेज अनुपलब्ध वाले मामलों में न्याय करते हुए उन्हें जे.पी. सम्मान योजना में शामिल करने हेतु हम सदन में सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हैं । ''	गृह विभाग

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/2024- 599 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/2024- 599 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/2024- 599 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / निर्वाचन विभाग/ गृह विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

26.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-18/2024- 599 / वि०स०, पटना, दिनांक- 26 नवम्बर, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

26.11.2024
(उमा शंकर यादव)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

26.11.2024